प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 13.09.2025

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर नाजायज, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर हुए बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 12.09.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त अरविन्द पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम जहांगीरपुर, थाना सट्टी, जनपद कानपुर देहात, हाल-पता मील कालोनी पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात को नवनिर्मित ओवरब्रिज हलधरपुर के पास समय करीब 23:50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 304/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम-पता-

अरविन्द पुत्र प्रताप सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम जहांगीरपुर, थाना सट्टी, जनपद कानपुर देहात, हाल-पता मील कालोनी पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं आटो चलाता हूँ, रात में डर लगता है इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिये तमन्चा ले कर चलता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया व गलती की माफी माँगने लगा।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 304/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 6060/2011 धारा 147/148/149/307 भादवि0 व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व 7 क्रिमिनल लॉ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट 1978, थाना सट्टी, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस